

भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2016

संकल्प

सं. 11015/9/2016-हिंदी - विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2010 के संकल्प संख्या 11011/2/2009-हिंदी के अधिक्रमण में भारत सरकार एतद् द्वारा विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन करती है। समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे -

(क) समिति का गठन

विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

- | | |
|--|-------|
| 1. श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 2. डॉ. धर्मवीर गांधी, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 3. श्री प्रभात झा, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |
| 4. श्री महेश पोद्दार, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

- | | |
|--|-------|
| 5. श्री गोकाराजू गंगाराजू, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 6. श्रीमती झरना दास बैदय, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि

- | | |
|----------------------------|-------|
| 7. श्री गोपाल कृष्ण फरलिया | सदस्य |
|----------------------------|-------|

नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के प्रतिनिधि

- | | |
|----------------------|-------|
| 8. डॉ. पदमाकर पाण्डे | सदस्य |
|----------------------|-------|

मंत्रालय द्वारा नामित

- | | |
|---|-------|
| 9. डॉ. अहिल्या मिश्र,
93-सी, राजसदन, वेंगलराव नगर, हैदराबाद | सदस्य |
| 10. श्री दिव्य ज्योति बरुआ
परबोतिया, वार्ड नं. 7, तिनसुकिया, डाकघर व थाना तिनसुकिया,
जिला तिनसुकिया, असम-786125 | सदस्य |
| 11. श्री सत्य पाल
सी-2/73, अशोक विहार, फेज-II,
दिल्ली-1100052. | सदस्य |

...2...

12. श्री विनीत कुमार (चौहान) सदस्य
'काव्यांजलि', 67, केशव नगर, अलवर (राजस्थान)

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

13. श्री अमलेश्वर चतुर्वेदी सदस्य
गांव खडौरा, पोस्ट-झखरावल, तहसील-देवसर,
जिला संगरौली (मध्य प्रदेश)
14. श्री प्रवीण रोदम सदस्य
कल्याण नगर, बंगलुरु-43
15. डॉ. महेश भार्गव सदस्य
6/5, एचआईजी फ्लैट्स (ए.डी.ए.), संजय पैलेस हाउसिंग सोसायटी,
आगरा-282002 (उत्तर प्रदेश)

सरकारी सदस्य

16. सचिव, विद्युत मंत्रालय सदस्य
17. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सदस्य
18. विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय सदस्य
19. अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय सदस्य
20. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सदस्य
21. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली सदस्य
22. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली सदस्य
23. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., गुरुग्राम सदस्य
24. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली सदस्य
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लि.,
नई दिल्ली सदस्य
26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लि., फरीदाबाद सदस्य
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला सदस्य
28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश सदस्य
29. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.,
शिलांग सदस्य
30. अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़ सदस्य
31. अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम, कोलकाता सदस्य
32. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली सदस्य
33. महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरु सदस्य
34. महानिदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद सदस्य
35. महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली सदस्य
36. संयुक्त सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय सदस्य-सचिव

ख. कार्य

समिति का कार्य सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के ढांचे के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विद्युत मंत्रालय को सलाह देना होगा ।

ग. कार्य-काल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि -

1. समिति में नामित संसद सदस्य जैसे ही संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे ।
2. समिति के सरकारी सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद को धारण किए हुए हैं, जिसके कारण उन्हें समिति का सदस्य बनाया गया है ।
3. अवधि के बीच रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया समय के लिए समिति का सदस्य रहेगा ।

घ. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । दिल्ली के बाहर भी समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है ।

ड. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठक में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा0भा0(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित दर और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अंजु

(अंजु भल्ला)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)

